प्रेस नोट, जालौन पुलिस
दिनांक – 20.09.2024

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना माधौगढ पुलिस पत्नी के साथ मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल करने वाले आरोपी पति को एक अदद बांका के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

कृपया अवगत कराना है कि आज दिनांक 20.09.2024 को वादी द्वारा मनीष उर्फ गोलू पुत्र ज्ञान सिंह ग्राम बंगरा कोतवाली माधौगढ़ जनपद जालौन द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी थी कि उसकी माता श्रीमती माया देवी के साथ पिता ज्ञान सिंह द्वारा बांका से मारकर कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया है। तहरीर के आधार थाना माधौगढ में धारा 109 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

थाना माधौगढ पुलिस द्वारा रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं सुरागरसी-पतारसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी पति ज्ञान सिंह पुत्र मुलू निवासी कुदारी मोड रेंढर रोड बंगरा थाना कोतवाली माधौगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी की निशादेही पर मारपीट की घटना में प्रयुक्त एक अदद बांका बरामद कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1- ज्ञान सिंह पुत्र मुलू निवासी कुदारी मोड रेंढर रोड बंगरा थाना कोतवाली माधौगढ़

बरामदगी विवरण-

1-एक अदद बांका

पुलिस टीम का विवरण-

1- प्रभारी निरीक्षक माधौगढ मय पुलिस टीम